भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 03

2 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोविड-19 लक्षणों का इलाज करने हेतु नयाचार में अंतर्विरोध

3. श्री मल्लिकाजुन खरगे:

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोविड-19 से निपटने संबंधी आयुष नयाचार में हाइपोक्सिया और सांस लेने में तकलीफ की समस्या को हल्के लक्षणों के रूप में उल्लेख किया गया है, जिनका जल में मिश्रित जड़ी-बूटियों से इलाज किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारिक नयाचार में हाइपोक्सिया और सांस लेने में तकलीफ की समस्या को हल्के लक्षणों के रूप में सूचीबद्ध करने के क्या कारण है, जिनके लिए तत्काल चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता नहीं है; और

(ग) इस अंतर्विरोध के क्या कारण ह और आयुष मंत्रालय द्वारा इसमें सुधार क्यों नहीं किया गया है?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और
आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क): आयुष मंत्रालय ने **"कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुवद और योग पर आधारित राष्ट्रीय चिकित्सा नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल"** जारी किया है जिसमें सांस फूलने और हाईपोक्सिया के साक्ष्य के बिना हल्के कोविड-19 पॉजिटिव मामलों के नैदानिक मानदंडों के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ऊपरलिखित प्रोटोकॉल के संलग्नक-3 में जहां संबंधित औषधयोगों के साथ साथ लक्षण का उल्लेख किया गया है वे हल्के मामलों के लिए होते ह। तथापि रोगियों को मध्यम कोविड-19 के मामलों में स्थानान्तरित करने के पूव, चिकित्सक के विवेक पर कुछ रोग सूचक न्यूनतम देखभाल का सुझाव दिया गया है।

कोविड-19 के उपचार हेतु आयुवद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक उपचार प्रोटोकॉल देश भर में 6000 से अधिक आयुवद चिकित्सकों और राष्ट्रीय संस्थानों तथा अनुसंधान संगठनों के व्यवसायिकों का राय एकत्र करने के पश्चात तैयार किया गया एक सहमत दस्तावेज है। अनुभवजन्य साक्ष्य के रूप में चिकित्सकों के अनुभव के आधार पर समय आधारित परीक्षित औषधयोगों को शामिल किया गया है।

आयुष मंत्रालय और सरकार के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा गठित कोविड-19 के उपचार में आयुर्वेद और योग को शामिल करने हेतु अंतर्विषयक समिति तथा कोविड-19 संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यबल सहित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस प्रोटोकॉल और इसके संलग्नक की विधीक्षा की गई है और अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ख) और (ग): उपर्युक्त (क) के आलोक में (ख) और (ग) का प्रश्न नहीं उठता।

****